



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 315]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों को मान्यता प्रदान करना और उनकी निगरानी संबंधी) विनियम, 2018

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

फा. सं. 1-19/2017 (सीपीपी-II).—

प्रस्तावना

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के मानदण्डों का समन्वय करने तथा निर्धारण करने हेतु अधिदेशित है;

जबकि, पारदर्शी तथा जानकारीप्रद बाह्य समीक्षा प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, गुणवत्ता निर्धारण करने तथा आश्वासन हेतु प्रभावी तरीके हैं;

जबकि, अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन से देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली, वैश्विक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का अंग बनने में सक्षम होगी;

जबकि, प्रत्यायन की मौजूदा क्षमता को उच्चतर शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अधिक प्रत्यायन एजेन्सियों के माध्यम से क्षमता विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की गई है;

इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) की खंड (छ) के साथ पठित धारा 12 की खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 17 जुलाई, 2014 को पूर्व में जारी की गई राजपत्रित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत् विनियमों को तैयार करता है:—

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों को मान्यता प्रदान करना और उनकी निगरानी संबंधी) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम, देश में मुख्यतः कृषि शिक्षा तथा शोध कार्य में लगे हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थानों और/अथवा उसके तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन कार्य करने में जुटी सभी मूल्यांकन तथा प्रत्यायन एजेन्सियों (एएए) पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—

इस विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

- (क) “शैक्षिक गुणवत्ता” का अभिप्राय उच्चतर शिक्षा संस्थान के शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध की गुणवत्ता और परिणामतः ज्ञान की वृद्धि में उनके योगदान जिसमें भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित), प्रशासन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रवेश तथा मूल्यांकन प्रक्रियाएं तथा अभिशासन ढांचा शामिल हैं तथा उपयुक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड शामिल हैं;
- (ख) “प्रत्यायन” का अभिप्राय प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा पालन की जाने वाली मूल्यांकन अथवा निर्धारण अथवा किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति के परिणामतः उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया से है; उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनमें चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को शिक्षा गुणवत्ता के बैचमार्क मानदण्डों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है;
- (ग) “प्रत्यायन सलाहकार परिषद्” का अभिप्राय इन विनियमों की खंड 4.1 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित परिषद् से है;
- (घ) “संगम अनुच्छेद” का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(5) के तहत यथा परिभाषित किसी कंपनी के ‘संगम अनुच्छेद’ से है;
- (ङ) “मूल्यांकन” का अभिप्राय शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारंभ किए जाने से पूर्व अकादमिक निष्कर्षों, भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधनों (संकाय सहित), प्रशासन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रवेश और छात्र मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाओं तथा अभिशासनात्मक ढांचे के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की क्षमताओं का पता लगाने तथा उनका प्रत्यायन करने की प्रक्रिया से है;
- (च) “मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सी” का अभिप्राय इन विनियमों की खंड 5 के तहत पंजीकृत किसी एजेन्सी से है जिसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) शामिल हैं;
- (छ) “पंजीकरण प्रमाणपत्र” का अभिप्राय इन विनियमों की खंड 5 के तहत प्रदत्त मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सी के पंजीकरण प्रमाणपत्र से है;
- (ज) “नीति संहिता” में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पेशेवर सक्षमता, पेशेवर आचरण, हितों के टकराव से बचाना, पारदर्शिता तथा जानकारी संबंधी उद्घटन सहित इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे ही अन्य आचारनीति संबंधी सिद्धांतों से है;
- (झ) “आयोग” का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;
- (ञ) “दूरस्थ शिक्षा प्रणाली” का अभिप्राय आयोग द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा हेतु विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से है;
- (ट) “सरकारी एजेन्सी” का अभिप्राय किसी कंपनी अथवा संस्थान से होगा, जिसका स्वामित्व और वित्तपोषण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है;
- (ठ) “उच्चतर शिक्षा संस्थान” का अभिप्राय संसद के किसी अधिनियम, अथवा ऐसे किसी संस्थान की संघटक इकाई द्वारा यथा घोषित किसी विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय संस्थान, महाविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के किसी संस्थान से है जोकि डिप्लोमा अथवा डिग्री प्रदान करने के लिए बारह वर्ष की विद्यालयी शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा (चाहे नियमित कक्षाओं अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से चलाया जाए) प्रदान कर रहा हो;

- (ड) "न्यास की लिखत" का अभिप्राय न्यास के मामले में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 के तहत यथापरिभाषित लिखत से है;
- (ढ) "समझौता ज्ञापन" का अभिप्राय कंपनी के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (28) के तहत यथापरिभाषित ऐसे ज्ञापन अथवा सोसाइटी के मामले में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 2 के तहत यथाविनिर्दिष्ट ऐसे ज्ञापन से है;
- (ण) "कार्यक्रम" का अभिप्राय किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिप्लोमा अथवा डिग्री प्रदान करने हेतु किसी अध्ययन कार्यक्रम से है;
- (त) "अर्द्ध सरकारी एजेंसी" से अभिप्राय किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा स्थापित ऐसी कंपनी अथवा संस्थान से है, जिसे ऐसी किसी निजी कंपनी के साथ भागीदारी से स्थापित किया हो और जिसे प्रत्यायन प्रक्रिया में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो तथा जिसमें सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी हो और जिसे इन विनियमों के उद्देश्यों पर खरा उतरने के विशिष्ट प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया हो;
- (थ) "तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम" का अभिप्राय क्षेत्रों नामतः अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्, नगर आयोजना, प्रबंधन, फार्मसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्पकला, होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में शिक्षा के शोध तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से है जैसा केन्द्र सरकार आयोग के परामर्श से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे;
- (द) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय किसी केन्द्रीय अधिनियम, किसी प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य के अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किसी विश्वविद्यालय से है जिसमें सम विश्वविद्यालय भी शामिल है;

इन विनियमों में, प्रयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है, जो इन विनियमों के साथ संगत नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम में दिया गया है।

3. उद्देश्य

- 3.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों और/अथवा कार्यक्रमों जिसमें उनके तहत चलाए जा रहे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं, के लिए अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु ढांचा निर्धारित करते हुए मौजूदा प्रत्यायन संस्थानों नामतः राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) के अलावा सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी एजेन्सियों द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों (एएए) की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना।
- 3.2 एएए के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया तथा मानदण्ड निर्धारित करना।
- 3.3 एक स्वतंत्र किंतु उत्तरदायी संस्थागत प्रणाली के माध्यम से एएए को विनियमित करना।

4. एएए को मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा एक प्रत्यायन परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना करना

- 4.1 आयोग को नीचे दिए गए बिंदु 4.3 में संदर्भित कार्यकरणों पर परामर्श देने हेतु आयोग, विशिष्ट शिक्षाविदों, उच्चतर शिक्षा, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की 10 सदस्यों वाली एक प्रत्यायन सलाहकार परिषद् (एएसी) का गठन करेगा। प्रारंभ में, एएसी के सदस्यगणों की पहचान तथा सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा एक सुपरिभाषित, पारदर्शी तथा गुणावगुण वाली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
- 4.2 एएसी, एएए के चयन हेतु एक पारदर्शी तथा गुणावगुण आधारित प्रक्रिया का पालन करेगा तथा उनके पंजीकरण हेतु आयोग को सिफारिश करेगा। तत्पश्चात्, आयोग, एएए को अधिसूचित करेगा।
- 4.3 आयोग, एएसी के परामर्श से, इन विनियमों के उपबंधों तथा उपयुक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत बनाए गए विनियमों के अधधीन उच्चतर शिक्षा संस्थानों (उच्चतर शिक्षा संस्थान) तथा उनमें चलाए जा रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन की प्रक्रिया को विकसित तथा विनियमित करने तथा एएए के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए उपाय करेगा।

- 4.4 उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खंड (3) की उपखंड (1) में संदर्भित उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अथवा किन्हीं मामलों के लिए उपबंध करेंगे, नामतः—
- (क) एएए को विनियमित करेंगे (मूल्यांकन तथा प्रत्यायन एजेन्सियों का पंजीकरण);
- (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा उनमें एएए द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम(मों) सहित कार्यक्रमों की शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन हेतु मानदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारित करेंगे;
- (ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित उपखंड में संदर्भित मानदंडों तथा नीतियों की आवधिक समीक्षा करेंगे;
- (घ) आचार संहिता निर्धारित करेंगे;
- (ङ.) एएए की लेखापरीक्षा, जानकारी का उदघटन करेंगे तथा मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता विकसित करेंगे;
- (च) उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा उसके तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम(मों) की गुणवत्ता तथा निष्पादन के सभी पहलुओं के संबंध में जनसाधारण को जानकारी मुहैया करवाने लिए नीतियां निर्धारित करेंगे;
- (छ) इन विनियमों के तहत मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करने के लिए शुल्क तथा अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण का निर्धारण करेंगे;
- (ज) मूल्यांकन तथा प्रत्यायन से संबंधित किसी नीतिगत मामले पर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकरण को परामर्श देंगे;
- (झ) उच्चतर शिक्षा संस्थान में उपर्युक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मानदंडों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुपालन की निगरानी करना;
- (ञ) आयोग द्वारा विहित ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

5. मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों का पंजीकरण

- 5.1 कोई भी एएए, आयोग से प्राप्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों तथा इसके द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप ही किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान और उसमें चलाए जा रहे किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन और प्रत्यायन करेगा;
- 5.2 (1) सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कंपनी द्वारा एएए के रूप में पंजीकरण किए जाने हेतु प्रत्येक आवेदन को नीचे दी गई उपखंड (2) में यथा विनिर्दिष्ट स्वरूप तथा पद्धति तथा ऐसे दस्तावेजों तथा ऐसे शुल्क का भुगतान कर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि किसी सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से आयोग द्वारा आगे विनिर्दिष्ट किया जाए।
- बशर्ते आगे*, कि वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत अथवा उसके द्वारा स्थापित एजेन्सियों यथा एनएएसी, एनबीए इन विनियमों के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त एजेन्सियां हैं।
- (2) उपखंड (1) के तहत प्रत्येक आवेदन को आयोग द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट एक प्रारूप में सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसमें निम्नवत शामिल होंगे, नामतः—
- (क) यदि आवेदक कोई पंजीकृत सोसाइटी/कंपनी अथवा एक न्यास हो तो क्रमशः संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद अथवा न्यास की लिखत की विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रति जिसमें इसके मुख्य कार्यकरण का उल्लेख शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन कार्य के रूप में किया गया हो;
- (ख) सोसायटी/कंपनी/न्यास के प्राधिकारियों का ब्यौरा;
- (ग) आवेदक की अवसंरचना तथा कर्मचारियों का ब्यौरा;

- (घ) आवेदक के पास उच्चतर शिक्षा में परामर्श देने तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने के संबंध में प्रमाणित सक्षमताओं तथा अनुभव के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में किए गए प्रमाणीकरण और मूल्यांकन/विशेषज्ञता के अनुभव का ब्यौरा;
- (ङ) आवेदक अथवा इसके कर्मचारियों अथवा विशेषज्ञों और किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान के बीच संभावित हितों के टकराव का पता लगाने के लिए एक प्रणाली का ब्यौरा;
- (च) आवेदक की वित्तीय स्थिति और वित्तीय लेन-देन के संबंध में पारदर्शिता हेतु एक विश्वसनीय प्रणाली;
- (छ) किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उसके तहत चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु एक विश्वसनीय सार्वजनिक सूचना उद्घटन नीति;
- (ज) किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उसमें चलाए जा रहे किसी कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु आवेदक द्वारा पालन की जाने वाली संपूर्ण विधि और प्रक्रियाएं;
- (झ) संस्थागत स्तर और/अथवा कार्यक्रम स्तर का प्रत्यायन करने के लिए प्रत्यायन एजेन्सी के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए एएए द्वारा विकल्प।
- (ञ) आयोग द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज।

5.3 आयोग द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक स्वयं निम्नवत शर्तों को पूर्ण नहीं कर देता है, नामतः—

➤ आवेदक —

- (i) एक सरकारी अथवा अर्द्ध- सरकारी एजेन्सी होगी, और;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित और पंजीकृत कोई सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किया गया न्यास हो।

- 5.4 (1) आयोग, एएए के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र सरकारी या अर्द्ध सरकारी एजेन्सियों से उसमें यथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदन मंगवाने हेतु एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।
- (2) सभी पात्र आवेदन, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं, उन्हें आयोग द्वारा एएसी के पास मूल्यांकन एवं परामर्श हेतु भेजा जाएगा।
- (3) एएसी, आवेदनों के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, प्रत्येक आवेदन की उपर्युक्तता एवं सक्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करेगा तथा आयोग को परामर्श देगा।

5.5 (1) आयोग, एएसी से सिफारिश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर निम्नवत कार्य करेगा—

- (क) एएए के रूप में इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी निबंधन और शर्तों पर पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा; अथवा
- (ख) कारणों को लिखित में दर्ज कर आवेदन को अस्वीकार करेगा :

बशर्त, कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब कि आवेदक को सुने जाने का एक औचित्यपूर्ण अवसर न दिया गया हो।

- (2) आयोग, पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करते हुए, एएए द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन और प्रत्यायन हेतु प्रक्रियाओं और शर्तों को मूल रूप में अथवा संशोधनों के साथ, जैसा उचित समझे, अनुमोदित भी करेगा।
- (3) उपखंड (2) के तहत अनुमोदित प्रक्रियाओं तथा शर्तों को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभिन्न अंग माना जाएगा जिन्हें आयोग के अनुमोदन के बिना संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (4) आयोग, यदि उचित समझे तो, एएए को प्रदत्त पंजीकरण के प्रमाणपत्र में उसके क्षेत्राधिकार को किसी क्षेत्रीय स्तर और/अथवा कार्यक्रम की विशिष्ट विधा तक सीमित कर सकता है जिसके लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सी, मूल्यांकन और प्रत्यायन के अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकती है।

- (5) पंजीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र को पहले रद्द न कर दिया जाए। तत्पश्चात्, प्रत्येक तीन वर्षों पर मान्यता का नवीकरण किया जाएगा।
- 5.6 (1) आयोग द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का एएए द्वारा किए गए आवेदन पर नवीनीकरण, ऐसे एएए के निष्पादन के संबंध में एएसी का परामर्श प्राप्त किए जाने के पश्चात् तथा ऐसे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपखंड (1) के तहत पंजीकरण के प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुने जाने का एक औचित्यपूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।
- 5.7 कोई भी एएए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, अपने स्वामित्व, अथवा शासी निकाय अथवा न्यासी मंडल अथवा संगम अनुच्छेद अथवा संगम ज्ञापन अथवा न्यास की लिखत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- 5.8 आयोग, जनहित में अथवा शिक्षा की गुणवत्ता का विकास सुनिश्चित करने के लिए एएए के आवेदन पर अथवा अन्यथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की निबंधन और शर्तों में इसके द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रक्रियाओं के अनुरूप ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन करेगा, जैसा वह उचित समझता हो।
- 5.9 (1) यदि आयोग किसी शिकायत पर अथवा अन्यथा, ऐसी जांच करने के उपरांत, जैसा वह उचित समझे, इस बात से संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना अपेक्षित है, निम्नवत किसी मामले में पंजीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है, नामतः—
- (क) जहां आयोग के मतानुसार एएए जानबूझकर अथवा लगातार इन विनियमों के माध्यम से यथा अपेक्षित किसी प्रकार की चूक अथवा अनदेखी कर रहा है;
- (ख) जहां एएए पंजीकरण प्रमाणपत्र की किन्हीं निबंधन और शर्तों का कोई उल्लंघन करे जिन्हें ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र को स्पष्ट रूप से रद्द किए जाने के कारण के रूप में उल्लिखित किया गया हो;
- (ग) जहां एएए पंजीकरण प्रमाणपत्र द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि अथवा किन्हीं लंबी अवधि, जिन्हें आयोग द्वारा तत्संबंध में प्रदान किया गया हो, के भीतर आयोग को इस बात से संतुष्ट करने में असफल रहा हो कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से सौंपे गए कर्तव्यों तथा दायित्वों को पूर्णतः तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम है;
- (घ) जहां आयोग के मतानुसार एएए की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से उसे सौंपे गए कर्तव्यों तथा दायित्वों का पूर्णतः तथा कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम नहीं है;
- (ङ) एएए का अस्तित्व समाप्त हो गया हो।
- (2) उपखंड (1) के तहत किसी भी प्रमाणपत्र को तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि आयोग ने एएए को लिखित में कम से कम तीस दिनों का नोटिस न दिया हो जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने हेतु प्रस्तावित आधार का उल्लेख किया गया हो तथा जिसमें उक्त नोटिस की अवधि के भीतर एएए द्वारा प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध दर्शाए गए किसी कारण पर विचार न किया गया हो।
- (3) जहां आयोग के विचार से, शिक्षा की गुणवत्ता का विकास सुनिश्चित करने के लिए जनहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, आयोग, उपखंड (1) के तहत जांच किए जाने के परिणामस्वरूप, एएए को प्रदत्त प्रमाणपत्र को ऐसे समय के लिए रद्द कर सकता है जब तक ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने अथवा अन्यथा, आयोग द्वारा निर्णय न ले लिया जाए।
- (4) जहां आयोग द्वारा इस खंड के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया गया हो, वह एएए को रद्दकरण का आदेश देगा तथा ऐसी तिथि निर्धारित करेगा जबसे रद्दकरण प्रभावी हो; तथा इस प्रकार का रद्दकरण इसके तहत की गई कार्रवाही अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

- (5) आयोग, उपधारा (1) के तहत किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने की बजाय, इसे और ऐसी निबंधन और शर्तों के अध्यक्षीन लागू रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है, जिसे वह लगाना उचित समझे, और इस प्रकार लगाई गई अतिरिक्त निबंधन और शर्तें, एएए पर बाध्यकारी होंगी तथा उसके द्वारा इनका पालन किया जाएगा तथा वे इस प्रकार से प्रभावी होंगी जैसे कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट रही हों।
- (6) आयोग अपनी वेबसाइट पर इस खंड के तहत आरंभ की गई किसी कार्यवाही तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय अथवा अन्यथा ऐसे सभी दस्तावेजों और निर्णय हेतु सभी कारणों के ब्योरे को प्रकाशित करेगा।
- (7) जहां किसी एएए के अधिप्रमाणन को उपखंड (1) में संदर्भित कारणों के आधार पर उपखंड (4) के तहत रद्द किया गया हो, उस स्थिति में आयोग इस प्रकार के रद्दकरण की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर ऐसी एजेन्सी द्वारा रद्दकरण की तिथि से एक वर्ष से पूर्व, प्रत्यायित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की लेखापरीक्षा करेगा।
- (8) आयोग पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किए जाने अथवा वापस लिए जाने पर छात्रों के हितों के संरक्षण के लिए अनिवार्य ऐसे सभी उपाय करेगा अथवा करवायेगा।

6. मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों के कर्तव्य तथा दायित्व

- 6.1 (1) किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उसमें चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन कार्य करते हुए, एएए को ज्ञान का विकास करने हेतु अपने दायित्वों के निर्वहन में निम्नवत सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा, यथा नामतः—
 - (क) शिक्षा की गुणवत्ता का विकास;
 - (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों अथवा किसी कार्यक्रम जिसमें उनमें चलाए जा रहे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, में शैक्षिक गुणवत्ता के एक समान मानदंड को सक्षम बनाना;
 - (ग) हितधारकों (छात्र और नियोजक सहित) को उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उनमें चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम(मों) के बारे में जानकारी प्रदान करना;
 - (घ) उच्चतर शिक्षा संस्थान को उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का प्रबंधन करने और उसमें वृद्धि करने तथा सुस्पष्ट वांछित ज्ञान अर्जन निष्कर्षों के विकास के प्रति कार्य करने में सहायता प्रदान करना;
 - (ङ) ज्ञान की उन्नति हेतु समय-समय पर विकसित होने वाले अन्य सिद्धांतों का पालन करना।
- (2) एएए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा जिसमें उनसे चलाए जा रहे किसी कार्यक्रम जिसमें तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं, का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन सत्यापन योग्य और निष्पक्ष मानदंडों के आधार पर करेगा और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में मानदंडों का पालन करेगा।
- (3) प्रत्येक एएए आयोग द्वारा निर्धारित, आचार संहिता का पालन करेगा।
- 6.2 (1) प्रत्येक एएए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा कार्यक्रमों, जिसमें उनमें चलाए जा रहे तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं, का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, आयोग द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शुल्क का भुगतान कर, ऐसे स्वरूप तथा पद्धति से ऐसे संस्थान द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आवेदन की तिथि से 90 दिन के भीतर किया जाएगा।
- (2) किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उनमें चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन ऐसे अंतरालों तथा अवधि के पश्चात् सार्वजनिक रूप से उद्घटित निष्पादन मानदंडों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन) विनियम, 2012 में विनिर्दिष्ट है।

- (3) एएए, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा ऐसे किसी संस्थान में कार्यक्रम(मों) का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करते हुए छात्रों तथा कर्मचारियों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान में हितधारकों को शिक्षा की गुणवत्ता के मामले पर अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान करेगा।
- (4) एएए, उच्चतर शिक्षा संस्थान को उनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पर सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों तो, दायर करने का एक युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा ऐसे किसी संस्थान अथवा उसमें चलाए जा रहे कार्यक्रम(मों) के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन को अंतिम रूप देते हुए ऐसे सुझावों तथा आपत्तियों को ध्यान में रखेगा।
- (5) एएए इस प्रकार से किए गए मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन तथा सभी दस्तावेजों तथा ऐसे मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन के कारणों को अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
- (6) एएए, आयोग को ऐसे समय में और ऐसे स्वरूप तथा पद्धति से जैसा कि आयोग द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जैसा आयोग निदेश दे, आयोग को ऐसी एजेन्सी द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन के संबंध में ऐसी विवरणिकाएं, विवरण तथा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।
- (7) उपखंड (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर, आयोग को ऐसे स्वरूप में खातों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसमें, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी एजेन्सी द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के संबंध में अपने क्रियाकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।

7. एएए के लेखा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के अधीन होंगे।

8. वित्तपोषण

- 8.1 प्रत्यायन सलाहकार परिषद् (एएसी) मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेन्सियों द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले शुल्क की जांच करेगी और आयोग के अनुमोदनार्थ इसकी सिफारिश करेगी।
- 8.2 आयोग एक ऐसा तंत्र तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान पर एक शुल्क लगाया जाएगा जिसे एक निधि का सृजन करने के लिए एक केंद्रीय पूल में संग्रहीत किया जाएगा; ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थान तथा किसी प्रत्यायन एजेन्सी के बीच प्रत्यक्ष संबंध की आवश्यकता न पड़े।
- 8.3 तत्पश्चात्, आयोग, केन्द्रीय कायिक निधि से संबंधित एएए को ऐसे शुल्क के प्रेषण को प्राधिकृत करेगा।

9. प्रत्यायन के लिए एक प्रत्यायन एजेन्सी को नियत किया जाना

- 1) उच्चतर शिक्षा संस्थान, आवेदन जमा करने के समय एएए के तीन विकल्पों की पेशकश करेगा।
- 2) सभी संगत कारकों पर विचार करने के उपरांत किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए एएए को नियत करने के संबंध में एएसी का निर्णय अंतिम होगा तथा एएसी का निर्णय उच्चतर शिक्षा संस्थान तथा संबंधित एएए पर बाध्यकारी होगा।

10. शिकायत निवारण तंत्र

- 10.1 इन विनियमों के तहत किसी भी एएए द्वारा किए गए मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति, ऐसे मूल्यांकन अथवा प्रत्यायन को वापस लेने अथवा इसमें संशोधन करने के लिए आयोग के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
- 10.2 आयोग, एएए को सुनवाई के लिए एक उचित अवसर प्रदान करने और एएसी से विधिवत् रूप से परामर्श करने के उपरांत शिकायत प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर शिकायत पर निर्णय लेगा।

11. शास्तियां:

11.1 यदि एएए को भ्रष्ट या अवैध कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है अथवा विविध प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रत्यायन प्रदान करते हुए पाया जाता है अथवा उसने किन्हीं बाह्य कारणों के आधार पर रेटिंग प्रदान की हो, तो ऐसे एएए का पंजीकरण रद्द करने के अलावा एएसी द्वारा भविष्य में उसका प्रत्यायन करने से इंकार भी किया जा सकता है।

बशर्ते, ऐसा कोई भी आदेश, संबंधित एएए को एक नोटिस भेजने तथा एएए को नोटिस में लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही किया जाएगा।

11.2 यदि एएए उपखंड 6.1 (1) में उल्लिखित दायित्वों का अनुपालन करने और उपखंड 6.1 (3) में संदर्भित आचार नीति उल्लिखित का अनुपालन करने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत लगाई जाने वाली किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उच्चतर शिक्षा संस्थान को हुई किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए ऐसे मुआवजे का भुगतान करेगा, जिसे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

11.3 आयोग चूककर्ता एएए के नाम और पते को जन साधारण के बीच रखेगा।

11.4 कोई एएए, जो उल्लंघन करता है—

(क) इन विनियमों के किसी उपबंध अथवा उसके तहत तैयार की गई किसी अधिसूचना; अथवा

(ख) उपर्युक्त सांविधिक विनियामक प्राधिकारी द्वारा वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत विनिर्दिष्ट मानकों का; अथवा

(ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें, इन विनियमों अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों के तहत अभियोजन हेतु कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार शास्ति लगाई जाएगी।

11.3 यदि कोई व्यक्ति इन विनियमों के तहत अथवा उसके तहत तैयार की गई किसी भी अधिसूचना के तहत कोई भी जानकारी उपलब्ध करवाता है अथवा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराता है अथवा ऐसा खाता अथवा विवरण प्रदान करता है जो फर्जी है, और जो वह या तो जानता है अथवा उसे विश्वास है कि गलत है अथवा जिसे वह सच नहीं मानता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा न्यायालय में अभियोजित किया जा सकता है।

11.4 यदि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करता है अथवा किसी भी प्रकार से एएए को उच्च ग्रेड अथवा मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए प्रभावित करने का प्रयत्न करता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) और 12ख के तहत अधिसूचना से हटाया जा सकता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यदि कोई अनुदान प्रदान किया जा रहा हो तो उसे रोका जा सकता है और/ अथवा वापस लिया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी सम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के दर्जे से विमुक्त किया जा सकता है।

12. कठिनाईयों का निवारण:

यदि इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकता है जो कि इन विनियमों के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हों, जैसा कि कठिनाईयों का निवारण करने के लिए अनिवार्य प्रतीत हो;

बशर्ते, इन विनियमों को लागू किए जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

बशर्ते आगे कि, किसी भी अन्य उपर्युक्त सांविधिक प्राधिकरण के विनियमों के साथ अतिव्यक्ति होने अथवा विरोधाभास के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए एक आदेश केवल सांविधिक प्राधिकारी के परामर्श और सहमति से ही पारित किया जाएगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (RECOGNITION AND MONITORING OF
ASSESSMENT AND ACCREDITATION AGENCIES) REGULATIONS– 2018

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

F. No. 1-19/2017 (CPP-II).—

Preamble

Whereas University Grants Commission (UGC) is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities;

Whereas assessment and accreditation through transparent and informed external review process are the effective means of quality determination and assurance;

Whereas mandatory assessment and accreditation would also enable the higher education system in the country to become a part of the global quality assurance system;

Whereas the existing capacity for accreditation is found to be inadequate to meet the requirements of the higher educational institutions, calling for augmentation of the capacity by allowing more accreditation agencies to come into this sphere of activity;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the earlier notification Gazetted on 17th July, 2014 the University Grants Commission hereby makes the following regulations:-

1. Short title, application and commencement –

- (1) These regulations shall be called the University Grants Commission (Recognition and Monitoring of Assessment & Accreditation Agencies) Regulations, 2018.
- (2) These regulations shall apply to all Assessment and Accreditation Agencies (AAA) engaged in the assessment and accreditation of higher educational institutions (HEIs) and/or programmes conducted therein, other than the higher educational institutions engaged mainly in agricultural education and research, in the country.
- (3) These regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions -

In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) “Academic quality” means the quality of teaching, learning and research and consequently their contribution to enhancement of knowledge and includes physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and assessment procedures and governance structures, of the higher educational institution and includes standards as laid down by the appropriate statutory regulatory authority;

(b) “Accreditation” means the process of quality assurance in Higher Education Institutions, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific

method followed by accreditation agencies, an HEI or programme(s) conducted therein is recognised as conforming to benchmarked parameters of academic quality;

(c) "Accreditation Advisory Council" means the Council appointed by the UGC under clause 4.1 of these regulations;

(d) "Articles of Association" means articles of association of a company as defined in Section 2(5) of the Companies Act, 2013

(e) "Assessment" means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of an HEI in terms of the academic outcomes, physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and student evaluation procedures and governance structure prior to the commencement of its academic programmes through objective parameters;

(f) "Assessment and Accreditation Agency" means an agency registered under clause 5 of these regulations and includes the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and National Board of Accreditation (NBA);

(g) "Certificate of registration" means the certificate of registration of an assessment and accreditation agency granted under Clause 5 of these Regulations;

(h) "Code of ethics" includes integrity, objectivity, professional competence, professional conduct, avoidance of conflict of interest, transparency and information disclosure and such other ethical principles as may be specified in these regulations;

(i) "Commission" means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission Act 1956;

(j) "Distance education systems" means the open and distance education systems as specified by the Commission in the regulations for Open and Distance Education;

(k) "Government agency" shall mean any entity or institution which is owned and funded by Central or State Government.

(l) "Higher Educational Institution" means an institution of learning including a University, an Institution Deemed to be University, a College, an institution of national importance declared as such by an Act of Parliament, or a constituent unit of such institution, which is imparting (whether through conduct of regular classes or distance education systems) higher education beyond twelve years of schooling leading to the award of a degree or diploma;

(m) "Instrument of Trust" means, in case of a Trust, such instrument as defined under section 3 of the Indian Trusts Act, 1882;

(n) "Memorandum of Association" means, in case of a company, such memorandum as defined under sub-section (28) of section 2 of the Companies Act, 2013, or in case of a society, such memorandum as specified under section 2 of the Societies Registration Act, 1860;

(o) "Programme" means programme of a study leading to the award of a diploma or a degree at graduate and post-graduate level in a Higher Educational Institution;

(p) "Semi Government agency" shall mean an entity or institution, formed by a

Government agency with majority stake in a partnership with a private entity which has at least five years of experience in accreditation process, with the exclusive purpose of meeting the objectives of these Regulations;

(q) “Technical Education Programmes” means programmes of education, research and training in the areas namely engineering and technology, architecture, town planning, management, pharmacy, applied arts and crafts, hotel management and catering technology, computer applications, and such other programmes or areas as the Central Government may, in consultation with the Commission, by notification in the official gazette, declare.

(r) “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an Institution Deemed to be University;

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 and not inconsistent with these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Objectives

3.1 To lay down a framework for mandatory assessment and accreditation of Higher Educational Institutions and/or programmes including Technical Education Programmes conducted therein, allowing setting up of Assessment and Accrediting Agencies (AAAs) by Government or Semi-Government agencies, apart from the existing accreditation institutions namely National Assessment and Accreditation Council (NAAC) and the National Board of Accreditation (NBA).

3.2. To lay down procedures and criteria for registration of AAAs .

3.3 To regulate AAAs through an independent but accountable institutional mechanism.

4. Setting up of an Accreditation Advisory Council by Commission for Recognition of AAAs

4.1. To advise the Commission on functions referred at 4.3 below, the Commission shall appoint an Accreditation Advisory Council (AAC) comprising up to 10 members who shall be distinguished academicians, experts in the field of higher education, assessment and accreditation. Initially, Members of the AAC shall be identified and recommended by a Committee appointed by the Ministry of Human Resource Development through a well defined credible transparent and merit based process.

4.2 The AAC shall follow a transparent and merit-based process of selection of AAAs and make recommendation to the Commission for registration. The Commission shall thereupon notify the AAAs.

4.3 Commission in consultation with the AAC shall, subject to the provisions of these regulations and of those made under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority, take measures to develop and regulate the process of assessment and accreditation of Higher Educational Institutions (HEIs) and programme(s) conducted therein., and to monitor the functioning of AAAs.

4.4 Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the measures referred to in sub-clause(1) of clause (3), may, inter alia, provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) regulate AAAs (registration of the assessment and accreditation agencies);

(b) lay down norms and processes for assessment and accreditation of academic quality in HEI(s) or of programme(s) including Technical Education Programmes conducted therein, by AAAs;

(c) undertake periodical review of norms and policies referred to in sub-clause mentioned above at (b);

(d) lay down a code of ethics;

(e) undertake audit of AAAs, disclosure of information and evolving of transparency in the processes of assessment and accreditation;

(f) lay down policies for providing information to the public in regard to all aspects of quality and performance of HEI(s) and programme(s) conducted therein;

(g) determine levying of fees or other charges for carrying out assessment and accreditation under these Regulations;

(h) advise the Central Government or any State Government or the appropriate statutory regulatory authority on any policy matter concerning assessment and accreditation which may be referred to it;

(i) monitor adherence to such norms, guidelines and standards of academic quality, as may be specified under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority in HEIs;

(j) perform such other functions as may be prescribed by Commission.

5. Registration of Assessment and Accreditation Agencies

5.1. No AAA shall, except under and in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the Commission and in accordance with rules and regulations made by it, undertake assessment and accreditation of any HEI(s) or any programme(s) conducted therein:

5.2 (1) Every application for registration as an AAA by a Government or Semi-Government entity shall be made to the Commission in such form and manner as specified in sub-clause (2) below and accompanied by such other documents and on payment of such fees as may be further specified by the Commission through a public notification.

Provided further, that agencies set up by or under any law for the time being in force such as NAAC, NBA shall stand recognized for the purposes of these Regulations.

(2) Every application under sub-clause(1) shall be submitted by a Government or Semi-Government agency in a form specified by the Commission through a public notification and shall be accompanied by the following, namely:—

(a) duly certified copy of memorandum of association/articles of association or the instrument of trust if the applicant is a registered Society/Company or a Trust respectively, in which the main function shall be to conduct assessment and accreditation of academic institutions;

(b) details of members of the authorities of the Society/Company/Trust;

(c) details of infrastructure and employees of the applicant;

(d) details of demonstrable capabilities and experience in higher education consulting and quality enhancement and experience in authentication or assessment in higher education undertaken/ expertise available with it;

(e) a detailed mechanism for detecting any potential conflict of interest between the applicant or its employees or experts and an HEI;

(f) a credible mechanism for transparency in respect of the financial status and financial dealings of the applicant;

(g) a reliable public information disclosure policy for assessment and accreditation of any Higher Educational Institution or any programme(s) conducted therein;

(h) complete processes and procedures to be followed by the applicant in the assessment and accreditation of any Higher Educational Institution or any programme conducted therein;

(i) option by the AAA to get empanelled as an accrediting agency to carry out Institutional level and / or programme level accreditation.

(j) such other documents as may be specified by a public notification by the Commission.

5.3 No application for grant of a certificate of registration shall be considered by the Commission unless the applicant satisfies the following conditions, namely:—

➤ the applicant shall be-

(i) A Government or Semi-Government agency and

(ii) Registered as a Company u/s 8 of the Companies Act, 2013 or a society formed and registered under the Societies Registration Act, 1860 or a Trust formed under the Indian Trusts Act 1882 or any other law for the time being in force.

5.4 (1) The Commission shall issue a public notice calling for applications, within the time period as specified therein, from eligible Government or Semi-Government agencies for registration as AAAs

(2) All the eligible applications received within the stipulated period shall be sent by the Commission to the AAC for assessment and advice.

(3) The AAC shall, within thirty days after receipt of applications, shall conduct a detailed evaluation of the suitability and competency of each of the applicants and send advice to the Commission.

5.5 (1) The Commission shall, within a period of thirty days from the receipt of recommendation by AAC shall, —

(a) issue a certificate of registration as an AAA, on such terms and conditions as may be specified in such certificate, subject to the provisions of these Regulations; or

(b) reject the application for reasons to be recorded in writing;

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Commission shall, while issuing a certificate of registration, also approve the procedures and conditions for assessment and accreditation specified by the AAA as such or with modifications as it may deem fit.

(3) The procedures and conditions approved under sub-clause (2) shall be considered as an integral part of the certificate of registration which shall not be modified or altered without the approval of the Commission.

(4) The Commission may, if it so deems fit, in the certificate of registration granted to an AAA, limit the area to a regional level and/or to specific discipline of the programmes for which such assessment and accreditation agency may exercise its duties and responsibilities of assessment and accreditation.

(5) A certificate of registration shall be valid for a period of two years unless such certificate is revoked earlier. Subsequent recognition renewal will be every three years.

5.6 (1) A certificate of registration granted may, on an application made by the AAA, be renewed by the Commission, after obtaining advice of AAC regarding the performance of such AAA, and on payment of such fees as may be specified by Commission.

(2) No application for renewal of the certificate of registration made under sub-clause(1) shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

5.7 No AAA shall, without the prior approval of the Commission, effect any change in its ownership, or governing body or board of trustees, or the memorandum of association or articles of association or the instrument of trust.

5.8 The Commission may, in the public interest or for ensuring advancement of academic quality, on an application of the AAA or otherwise, make such alterations and amendments in the terms and conditions of the certificate of registration as it thinks fit, in accordance with such procedure as may be specified by it through a public notification.

5.9 (1) If the Commission, on a complaint or otherwise, and after making such enquiry as it deems fit, is satisfied that public interest so requires, it may revoke the certificate of registration in any of the following cases, namely:—

(a) where the AAA, in the opinion of the Commission, makes willful or continuous default in any act of commission or omission as required by these regulations;

(b) where the AAA commits breach of any of the terms or conditions of the certificate of registration which is expressly declared by such certificate of registration to render it liable for revocation;

(c) where the AAA fails, within the period fixed in this behalf by its certificate of registration, or any longer period which the Commission may have granted thereof, to show, to the satisfaction of the Commission, that it is in a position to discharge the duties and obligations fully and efficiently imposed on it by its certificate of registration;

(d) where in the opinion of the Commission the financial position of the AAA is such that it is unable fully and efficiently to discharge the duties and obligations imposed on it by its certificate of registration;

(e) the AAA has ceased to exist.

(2) No certificate of registration shall be revoked under sub-clause(1) unless the Commission has given to the AAA not less than thirty days notice, in writing, stating the grounds on which it

is proposed to revoke the certificate of registration, and has considered any cause shown by the AAA within the period of that notice, against the proposed revocation.

(3) Where in its opinion the public interest so requires or for ensuring the advancement of academic quality, the Commission may, on conclusion of the enquiry under sub-clause(1), suspend the certificate of registration granted to the AAA till such time as a decision on the revocation of such certificate of registration or otherwise is taken by the Commission.

(4) Where the Commission revokes a certificate of registration under this clause, it shall serve an order of revocation upon the AAA and fix a date on which the revocation shall take effect; and such revocation shall be without prejudice to the action which may be taken against it in under any other law for the time being in force.

(5) The Commission may, instead of revoking a certificate of registration under sub-section (1), permit it to remain in force subject to such further terms and conditions as it thinks fit to impose, and any further terms or conditions so imposed shall be binding upon and be observed by the AAA and shall be of like force and effect as if they were contained in the certificate of registration.

(6) The Commission shall publish on its website any action initiated under this clause and the final decision on the revocation of the certificate of registration or otherwise together with all documents and reasons for such decision.

(7) Where the certification of any AAA has been revoked under sub-clause(4) on grounds referred to in sub-clause (1), the Commission shall, within a period of sixty days from the date of such revocation, conduct an audit of all the Higher Educational Institution accredited by such agency within a period of one year before the date of such revocation.

(8) The Commission shall, while suspending or revoking a certificate of registration, take, or cause to be taken, such measures which may be necessary to protect the interests of students.

6. Duties and Obligations of Assessment & Accreditation Agencies

6.1 (1) While undertaking assessment and accreditation of an HEI or programme(s) conducted therein, the AAA shall have regard to following principles in discharging its obligations for the advancement of knowledge, namely:—

(a) advancement of academic quality;

(b) enabling uniform reference of standards of academic quality in any class or classes of higher educational institutions or any programme(s) including Technical Education Programmes conducted therein;

(c) informing stakeholders (including students and employers) about the quality of the Higher Educational Institution or any programme(s) conducted therein;

(d) rendering assistance to Higher Educational Institutions in managing and enhancing their academic quality and work towards the development of explicit intended learning outcomes;

(e) adherence to such other principles for advancement of knowledge which may evolve from time to time.

(2) The AAA shall, while undertaking assessment or accreditation of Higher Educational

Institutions or any programme(s) including Technical Education Programmes conducted therein, base their assessment on verifiable and objective criteria and follow the standards in respect of academic quality specified by the Commission.

(3) Every AAA shall abide by the code of ethics as laid down by the Commission.

6.2 (1) Every AAA shall assess or accredit Higher Educational Institution or programme(s) including Technical Education Programmes conducted therein on an application made to it by such institution in such form and manner, and on payment of such fees as may be specified by the Commission through a public notification, and within ninety days from the date of such application.

(2) The assessment or accreditation of Higher Educational Institution or a programme(s) conducted therein shall be done, based on data on performance parameters which are to be publicly disclosed, at such intervals and after such periods as are specified in the UGC (Mandatory Assessment and Accreditation) Regulations, 2012.

(3) The AAA shall, while undertaking assessment or accreditation of a Higher Educational Institution or programme(s) in such institution, provide an opportunity to the stakeholders in the higher educational institution, including students and employees, to submit their views on matters of academic quality.

(4) The AAA shall give a reasonable opportunity to the Higher Educational Institution to file suggestions or objections, if any, on the draft assessment or accreditation prepared by it and shall take note of such suggestions or objections, if any, while finalizing the assessment or accreditation of such institution or any programme(s) conducted therein.

(5) The AAA shall publish on its website the assessment or accreditation undertaken together with all documents and reasons for such assessment or accreditation.

(6) The AAA shall furnish to the Commission at such time and in such form and manner as may be specified by the Commission in a public notification or as the Commission may direct, such returns and statements and such particulars in regard to assessment or accreditation of higher educational institutions by such agency, as the Commission may, from time to time, require.

(7) Without prejudice to the provisions of sub-clause (1), the AAA shall, within a period of ninety days after the end of each financial year, submit to the Commission a report along with audited statement of accounts in such form, as may be specified by the Commission in a public notification, giving a true and full account of its activities, policy and programmes in regard to accreditation of higher educational institutions by such agency during the previous financial year.

7. The accounts of AAA would be subject to C&AG audit.

8. Funding

8.1 The Accreditation Advisory Council (AAC) shall examine the quantum of fees to be levied by the Assessment and Accreditation Agencies and recommend to the Commission for approval.

8.2 The Commission shall create a mechanism wherein every Higher Educational Institution would be charged a fee that would be collected in a Central Pool to create a fund; to avoid a direct link between a Higher Educational Institution and an accreditation agency.

8.3 The Commission, shall thereafter, authorize the remission of such fees payable from the Central Corpus to the respective AAAs

9. Allocation of an accrediting agency for accreditation

(1) The Higher Educational Institution shall give three choices of the AAA at the time of submission of application.

(2) The AAC shall have the final decision to allocate an AAA for a Higher Educational Institution considering all the relevant factors and the decision of AAC will be binding on the Higher Educational Institution and the AAA concerned.

10. Grievance Redressal Mechanism

10.1 Any person aggrieved by the assessment or accreditation decided by any AAA under these Regulations, may submit grievance to the Commission for withdrawal of such assessment or accreditation or its modification.

10.2 The Commission shall take a decision on grievance received within ninety days after affording the AAA reasonable opportunity of being heard and after due consultation with the AAC.

11. Penalties

11.1 If an AAA resorts to corrupt or unlawful practices, or is found to have given accreditation without due process, or has given rating based on extraneous considerations, such AAA can be debarred from further accreditation work by the AAC, apart from withdrawal of registration.

Provided that such an order shall be passed only after serving a notice on the AAA concerned, and after giving an opportunity for the AAA to explain the charges leveled in the notice.

11.2. If an AAA fails to comply with the obligations referred to in sub-clause 6.1 (1) and the adherence to the code of ethics referred to in sub-clause 6.1(3), without prejudice to any penalty which may be imposed under the University Grants Commission Act, 1956, it shall be liable to pay such compensation, to the HEI for any loss or damages suffered by such institution, as may be determined by a Court of Law.

11.3 The Commission shall publish the name and address of the erring AAA in the Public Domain.

11.4 Any AAA, which contravenes-

- (a) any provision of these regulations or any notification made thereunder; or
- (b) the standards specified under any law for the time being in force by the appropriate statutory regulatory authority; or
- (c) the terms and conditions specified in the certificate of registration shall, without prejudice to proceeding for prosecution under the provisions of these regulations or any other law for the time being in force, be liable to a penalty as per the provisions of the University Grants Commission Act, 1956.

11.3 If any person provides any information or produces any document under these regulations or under any notification made thereunder, or delivers an account or statement which is false, and which he either knows or believes to be false, or does not believe to be true, he shall be liable for being prosecuted in a Court of Law by the University Grants Commission.

11.4 If any HEI furnishes false or misleading information or tries to influence the AAA in whatever way to obtain a higher grade or assessment, it shall be liable to be de-notified from the Section 2(f) and 12B of UGC Act, 1956 and stoppage of/or withdrawal of UGC grants, if any. Similarly a Deemed to be University shall be liable for de-notification of its status as a Deemed to be University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

12. Removal of difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of these regulations as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulties;

Provided that, no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of these regulations;

Provided further that, an order providing for the removal of a difficulty arising due to overlap or conflict with regulations of any other appropriate statutory authority shall be passed only in consultation with and, with the concurrence of such statutory authority.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./191/18]